न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, हाल- श्री गंगानगर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल,
   निवासी- गेमावतवास, शिवंगज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही

2. कानाराम घांची, निवासी- सोपावाली वास, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राईजेज, पुराने स्कूल नं. 1 के सामने, भैरुचौक, सुमेरपुर

3. सुनील दाधीच पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा,
   निवासी- 8, शक्तिनगर, रोड नं. 1, पावटा सी रोड, जोधपुर
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- मैसर्स भास्कर एन्टरप्राईजेज, दुकान नं. 4, खेतानाडी, मण्डोर रोड,
कृषि मण्डी के पास, जोधपुर

4. मनीष अग्रवाल, Director, Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.
   A-28, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi-110035
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

फर्म:- Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.
प्लॉट नं. 42, उद्योग विहार (Ecotech-II). गौतम बुद्ध नगर,
ग्रेटर नोएडा, यू.पी. - 201301

5. Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.
   प्लॉट नं. 42, उद्योग विहार (Ecotech-II). गौतम बुद्ध नगर,
   ग्रेटर नोएडा, यू.पी. - 201301
   जरिये नॉमनी
   मनीष अग्रवाल, Director, Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.
   A-28, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi-110035

प्रकरण संख्या: 26/2017

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

उपस्थिति:

1. श्री बैद्य नाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, Director, Bikanerwala Foods Pvt.
   (अधिकृत प्रतिनिधि/नॉमिनी- Director, Bikanerwala Foods Pvt. Ltd.)
2. अभियुक्त संख्या- 1, 2 व 3 अनुपस्थित।

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

-: निर्णय :- दिनांक 21 फरवरी, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11.2015 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा व वहां विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी-गेमावतवास, शिवगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान की अलमारी में विक्रय हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के 16 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 400 ग्राम) में से 4 पैक्ड पाउजेज (प्रत्येक 400 ग्राम) क्रय किये एवं उसकी कीमत रुपये 280/- (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के चारों पैक्ड पाउचेज को अलग अलग गत्ते के डिब्बो में बन्द किया, टेप से चिपकाया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-495 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं

.....पेज तीन पर

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.11.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सीलड लिफावा देवाराम, एम.पी.डब्लयू. के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 16.11.2015 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का नमूना S-495 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.11.2017, 22.1.2018 को अभियुक्त संख्या-1 सतीश अग्रवाल इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं उसके बाद अभियुक्त संख्या-1 सतीश अग्रवाल इस न्यायलय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 1, 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त संख्या- 1, 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22.12.2017 को अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से श्री बैद्य नाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूडस् प्रा.लि. (अधिकृत प्रतिनिधि- बीकानेरवाला फूडस् प्रा.लि.) इस न्यायालय में उपस्थित हुये, जिन्होनें बीकानेर फूडस् प्रा. लि. का अधिकृत पत्र व वकील श्री रमण मिश्रा का वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति व लिखित जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 22.1.2018 व 19.2.2018 को भी अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से श्री बैद्य नाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूडस् प्रा.लि. (अधिकृत प्रतिनिधि) उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 19.2.2018 को अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से उपस्थित श्री बैद्यनाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, बीकानेरवाला फूडस् प्रा.लि. (अधिकृत प्रतिनिधि) की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रारंभिक आपत्ति एवं जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में अंकित तथ्यों, अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति व जवाब तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.11.2015 को 5.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार, मेन बजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- गेमावतवास, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले जो आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का विकय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, ग्राम चान्दाना, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के समक्ष विकेता/खाद्यकारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान की आलमारी में विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के 16 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 400 ग्राम) में से 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 400 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/- (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) अदा कर कय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल, उक्त गवाहान एवं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-495, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के चारों खरीद शुदा पैक्ड पाउचेज को अलग-अलग गत्ते के डिब्बो में रखकर बन्द कर टेप से चिपकाया एवं प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-495 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता सतीश अग्रवाल, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.11.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री देवाराम, एम.पी.डब्जयू. के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 16.11.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड भुजिया (बिकानो ब्रांड) का नमूना संख्या S-495 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./988/Act/2015/999 दिनांक 15.12.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, शिवगंज में खाद्यकारोबारकर्ता/विक्रेता सतीश अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्रांड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो Regulation No. 2.3.1(5) of Food Safety and Standards (packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन है।

......पेज छः पर

प्रति. जिला अभिभाषक

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार मेन बाजार, शिवगंज तथा Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., प्लॉट नं. 42, उद्योग विहार (Ecotech-II). गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा (यू. पी.) को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक/संस्था/एफएसएसए/2015/7820-22 दिनांक 29.12.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि अभियुक्त संख्या-1 सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- गेमावतवास, शिवगंज, जिला- सिरोही की फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्रांड) के 400 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को सप्लायर फर्म मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राइज, स्कूल नं. 1 के सामने, भैरुचौक, सुमेरपुर से वेट इनवोइस नम्बर 01217 दिनांक 08.9.2015 के द्वारा कय किये गये थे जो अभियुक्त संख्या-2 कानाराम घांची, निवासी-सोपावाली वास, शिवगंज की फर्म है। अभियुक्त संख्या-2 कानाराम घांची की फर्म मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राईजज, स्कूल नं. 1 के सामने, भैरुचौक, सुमेरपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्रांड) के 400 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को सप्लायर फर्म मैसर्स भास्कर एन्टरप्राईजेज, दुकान नं.4 खेतानाडी, मण्डोर रोड, कृषि मण्डी के पास, जोधपुर से वेट इनवोईस नंबर 235 दिनांक 20.8.2015 के द्वारा क्रय किये गये थे जो अभियुक्त संख्या- 3 सुनील दाधिच पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, निवासी- 8, शक्तिनगर, रोड् नं. 1, पावटा सी रोड, जोधपुर की फर्म है। अभियुक्त संख्या- 3 सुनील दाधिच पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा की फर्म मैसर्स भास्कर एन्टरप्राईजेज, दुकान नं. 4 खेतानाडी, मण्डोर रोड, कृषि मण्डी के पास, जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) के 400 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्रांड) की निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., प्लॉट नं. 42, उद्योग विहार (Ecotech-II). गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.-201301 से वेट इनवोइस नम्बर FF-GN-15-16-02370 दिनांक 13.8.2015 के द्वारा क्रय किये गये थे।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त संख्या-1 सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- गेमावतवास, शिवगंज, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्ड़ार, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) का विक्रय किया गया है एवं अभियुक्त संख्या-2 कानाराम घांची, निवासी-सोपावाली वास, शिवगंज, जिला-सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राइज, स्कूल नं. 1 के सामने, भैरुचौक, सुमेरपुर व अभियुक्त संख्या-3 सुनील दाधिच पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, निवासी- 8, शक्तिनगर, रोड् नं.1, पावटा सी रोड, जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स भास्कर एन्टरप्राईजेज,

.....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

दुकान नं.4 खेतानाडी, मण्डोर रोड, कृषि मण्डी के पास, जोधपुर द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) का विक्रय/सप्लाय किया गया है तथा उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्रांड) की निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd., प्लॉट नं. 42, उद्योग विहार (Ecotech-II). गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.-201301 द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ भुजिया (बिकानो ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत अभियुक्त संख्या-1 सतीश अग्रवाल पुत्र श्री भीमराज अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- गेमावतवास, शिवगंज, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना, अभियुक्त संख्या-2 कानाराम घांची, निवासी- सोपावाली बास, शिवगंज, जिला-सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राइज, पुराने स्कूल नं. 1 के सामने, भैरुचौक, सुमेरपुर, जिला-पाली पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना, अभियुक्त संख्या-3 सुनील दाधिच पुत्र श्री शिवदत्त शर्मा, निवासी- 8, शक्तिनगर, रोड़ नं.1, पावटा सी. रोड, जोधपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स भास्कर एन्टरप्राईजेज, दुकान नं.4 खेतानाडी, मण्डोर रोड़, कृषि मण्डी के पास, जोधपुर पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना एवं निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd. A-28, Lawrence Road, Industrial Area, New Delhi-110035 पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त संख्या-1, 2 व 3 एवं निर्माता फर्म Bikanerwala Foods Pvt. Ltd के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बैद्य नाथ मिश्रा, सहायक प्रबन्धक, Bikanerwala Foods Pvt. Ltd को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

21.02.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

सिरोही (राज०)